



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-17042026-271878
CG-MH-E-17042026-271878

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 275]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 16, 2026/चैत्र 26, 1948

No. 275]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 16, 2026/CHAITRA 26, 1948

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 16 अप्रैल, 2026

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2026

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2026/301.— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 तथा धारा 12 के साथ पठित धारा 30 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2026 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014 में,
 - विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में,

(क) खंड (यगक) में,

- i. शब्दों "म्यूचुअल फंड की ओवरनाइट स्कीमें या लिक्विड स्कीमें" के स्थान पर शब्द "म्यूचुअल फंड की ओवरनाइट स्कीमों की यूनितें" आ जाएँगे।
- ii. शब्दों "अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में रखी गई मीयादी जमाएँ" से पहले शब्द, चिह्न तथा अंक "म्यूचुअल फंड की उन लिक्विड स्कीमों की यूनितें जिनकी 'क्रेडिट रिस्क वैल्यू' कम से कम 10 हो और जो बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए 'पोटेंशियल रिस्क क्लास मैट्रिक्स' में श्रेणी-ए-1 या श्रेणी-बी-1 के दायरे में आती हों," जोड़े जाएँगे।
- iii. शब्दों तथा चिह्नों "खजाना बिल (ट्रेज़री बिल)" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "ट्रेज़री बिल (खजाना बिल)" आ जाएँगे।

(ख) खंड (यम) में,

- i. चिह्नों तथा शब्दों "विशेष प्रयोजन माध्यम" (स्पेशल पर्पज व्हीकल) से कोई ऐसी कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी अभिप्रेत है" के स्थान पर चिह्न तथा शब्द " "एस.पी.वी." या "स्पेशल पर्पज व्हीकल" (किसी खास उद्देश्य से बनी निजी कंपनी / विशेष प्रयोजन माध्यम) का अर्थ है - वह कंपनी या एल.एल.पी. (सीमित दायित्व भागीदारी)" आ जाएँगे;
- ii. उप-खंड (i) में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक आ जाएगा, अर्थात्,-
 "परंतु यह कि पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (सरकारी-निजी सहभागिता) वाले प्रोजेक्ट्स (वाली परियोजनाओं) के मामले में जहाँ ऐसे अर्जन (एक्विजिशन) को या इस प्रकार हिस्सेदारी रखे जाने (ऐसी धारिता / ऐसे होल्डिंग) को सरकार द्वारा अथवा रियायत करार (कन्सेशन एग्रीमेंट) या ऐसे किसी दूसरे करार (एग्रीमेंट) के तहत विनियामक (रेग्युलेटरी) प्रावधानों के अनुसार नामंजूर किया जाए, वहाँ यह खंड लागू नहीं होगा और उन मामलों में विनियम 12 के उप-विनियम (3) के परंतुक के तहत दिए हुए प्रावधानों का पालन करना होगा;";
- iii. उप-खंड (ii) में,
 1. शब्दों तथा चिह्नों "जो अपनी आस्तियों का कम से कम नब्बे प्रतिशत प्रत्यक्षतः अवसंरचना परियोजनाओं में धारण करती हो और अन्य विशेष प्रयोजन माध्यमों में निवेश न करती हो; और" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "जिसने अपने असेट्स (अपनी आस्तियों) के कम से कम नब्बे प्रतिशत का निवेश इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स (अवसंरचना परियोजनाओं) में किया हुआ हो और जो दूसरे एस.पी.वी. में निवेश न करती हो;" आ जाएँगे;
 2. निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-
 "परंतु यह कि, यदि किसी एस.पी.वी. के पास कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट (अवसंरचना परियोजना) हो, और अगर रियायत करार (कन्सेशन एग्रीमेंट) या ऐसे किसी दूसरे करार (एग्रीमेंट) की अवधि पूरी हो जाए या फिर उस करार (एग्रीमेंट) को समाप्त कर दिया जाए, तो ऐसे में उसका असर एस.पी.वी. के दर्जे (स्टेटस) पर नहीं पड़ेगा, और वह एस.पी.वी. एस.पी.वी. ही मानी जाएगी, हालाँकि इसके लिए उसे बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई शर्तों का पालन करना होगा; और"

iv. उप-खंड (iii) में,

1. शब्दों “जो अंडरलाइंग अवसंरचना परियोजनाओं से संबंधित” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “जो अंडरलाइंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स (अवसंरचना परियोजनाओं) से संबंधित” आ जाएँगे;
2. शब्दों “और से आनुषंगिक क्रियाकलापों से भिन्न किसी अन्य क्रियाकलाप में न लगी हुई हो” के स्थान पर शब्द “और से जुड़े कार्यों से भिन्न किसी कार्य में न लगी हुई हो” आ जाएँगे।

II. विनियम 18 में –

(क) उप-विनियम (4) के परंतुक में दिए हुए शब्द, चिह्न तथा अंक “के उप-खंड (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) और (viii)” हट जाएँगे;

(ख) उप-विनियम (5) में, खंड (ख) में,

i. उप-खंड (vii) में,

1. शब्दों “कम से कम” के बाद दिए हुए अंक “12” के स्थान पर अंक “10” आ जाएगा;
2. शब्दों, चिह्नों तथा अंक “में श्रेणी-ए-1” के बाद और शब्दों “के दायरे में आती हों” से पहले शब्द, चिह्न तथा अंक “या श्रेणी-बी-1” जोड़े जाएँगे;

ii. उप-खंड (viii) के बाद, निम्नलिखित नया उप-खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,

“(ix) उन एसपीवी में, जिनका जिक्र विनियम 2(1)(यम)(ii) के परंतुक में किया गया है।”

III. विनियम 20 में, उप-विनियम (3) में, खंड (ख) में, उप-खंड (ii) में, शब्दों “विकास के लिए ही करेगा” के बाद और चिह्न “;” से पहले, शब्द “या फिर बोर्ड द्वारा बताए गए किसी दूसरे उद्देश्य के लिए करेगा” जोड़े जाएँगे।

बबीता रायडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./44/2026-27]

टिप्पणी :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014 (अधिसूचना सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2014-15/10/1577) 26 सितम्बर, 2014 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, और जो अंतिम बार 11 दिसम्बर, 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (चौथा संशोधन) विनियम, 2025 (अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/286) द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**NOTIFICATION**

Mumbai, the 16 April, 2026

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (INFRASTRUCTURE INVESTMENT TRUSTS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2026

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2026/301.— In exercise of the powers conferred under Section 30 read with Sections 11 and 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014, namely: –

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2026.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014, —
 - I. in regulation 2, in sub-regulation (1),
 - (a) in clause (zca),
 - i. the words “or liquid” appearing after the words and symbol “means cash, units of overnight” and before the words and symbol “mutual fund schemes,” shall be omitted;
 - ii. after the words and symbol “mutual fund schemes,” and before the words and symbol “fixed deposits of scheduled commercial banks,” the words and symbols “units of liquid mutual fund schemes where credit risk value is at least 10 and which falls under the Class A-I or Class B-I in the potential risk class matrix as specified by the Board,” shall be inserted;
 - iii. the words and symbols “government securities, treasury bills, repo on government securities” shall be substituted with the words and symbols “Government Securities, treasury bills, repo on Government Securities”;
 - (b) in clause (zy),
 - i. after the words and symbols ““special purpose vehicle” means” and before the words “company or”, the word “any” shall be substituted by the word “a”;
 - ii. in sub-clause (i), the proviso shall be substituted with the following, namely, -

“Provided that in case of PPP projects where such acquisition or holding is disallowed by the Government or regulatory provisions under the concession agreement or such other agreement, this clause shall not apply and shall be subject to the provisions under proviso to sub - regulation (3) of regulation 12;”;
 - iii. in sub-clause (ii),
 1. the word “and” appearing after the words and symbol “invest in other SPVs;” shall be omitted;
 2. the following proviso shall be inserted, namely, –

“Provided that, in respect of an SPV holding an infrastructure project, the conclusion or termination of the concession agreement or such other agreement of a similar nature shall not affect its status as an SPV and such an SPV shall continue to be classified as an SPV subject to the fulfilment of such conditions as may be specified by the Board; and”
 - iv. in sub-clause (iii),
 1. the word “other” appearing after the words “not engaged in any” shall be omitted;

2. after the words “activity other than” and before the words “activities pertaining to”, the word “the” shall be inserted.
- II. in regulation 18 –
- (a) in the proviso to sub-regulation (4), the words and symbols “sub-clause (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) and (viii) of” shall be omitted;
 - (b) in sub-regulation (5), in clause (b),
 - i. in sub-clause (vii),
 1. the number “12” appearing after the words “credit risk value is at least” shall be substituted with the number “10”;
 2. after the words and symbol “Class A-I” and before the words “in the potential risk class matrix” the words and symbol “or Class B-I” shall be inserted;
 - ii. after sub-clause (viii), the following sub-clause shall be inserted, namely, -
“(ix) SPVs as referred to in proviso to regulation 2(1)(zy)(ii).”
- III. in regulation 20, in sub-regulation (3), in clause (b), in sub-clause (ii), after the words “development of infrastructure projects” and before the symbol “;” the words “or for such other purposes as may be specified by the Board” shall be inserted.

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./44/2026-27]

Note:

1. The Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014 was published in the Gazette of India on September 26, 2014 vide notification No. LAD-NRO/GN/2014-15/10/1577 and was last amended on December 11, 2025 by the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Fourth Amendment) Regulations, 2025 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/286.